भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1563
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

राजस्थान में कोल्ड चेन योजना

1563. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में, विशेषकर राजस्थान में, कोल्ड चेन योजनाओं के तहत छोटे किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और उनके विस्तार के लिए निर्धारित लक्ष्यों का क्या प्रभाव है;

(ख) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) कोल्ड चेन योजनाओं के विस्तार में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों की स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भविष्य में अपनाई जाने वाली नई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना) नामक एक घटक योजना को कार्यान्वित कर रहा है । शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार (राजस्थान राज्य सहित) निधि का आवंटन नहीं किया जाता है । उपरोक्त योजना ने राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में बेहतर मूल्य प्राप्ति, मूल्य संवर्धन और अपव्यय में कमी आदि के माध्यम से आय में वृद्धि करके सूक्ष्म स्तर (किसानों और शीत श्रृंखला मालिकों) पर सकारात्मक रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना ने निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और अपव्यय में कमी आदि के संदर्भ में राजस्थान राज्य सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था में वृहद स्तर पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राजस्थान राज्य में मंत्रालय की सहायता से 12 शीत श्रृंखला परियोजनाएँ पूरी की गई हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 281.10 करोड़ रुपये है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इसकी शुरुआत से 2024-25 तक (31.01.2025 तक) 73.15 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता/सब्सिडी और 207.95 करोड़ रुपये का निजी निवेश शामिल है, जिससे क्रमशः 1.31 एलएमटी/वर्ष और 2.54 एलएमटी/वर्ष की परिरक्षण और प्रसंस्करण अवसंरचना का निर्माण हुआ है। इन परियोजनाओं से 114624 किसानों को लाभ हुआ है और 7200 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

(ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत एक घटक एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत, मंत्रालय की वेबसाइट पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में समय-समय पर परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं । उपरोक्त योजना के व्यापक प्रचार के लिए, इसे प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) और प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है । मंत्रालय अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी योजना के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी, दिशानिर्देश और अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं , जिससे प्रासंगिक संसाधनों तक आसान पहुँच मिलती है। इस योजना के अंतर्गत छोटे किसानों के साथ-साथ संस्थाएँ/संगठन जैसे एफपीओ/एफपीसी/एनजी/पीएसयू/फर्म/कंपनियाँ आदि सहित व्यक्ति लाभ उठाने के पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की संवर्धनात्मक गतिविधियों की योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने वर्ष 2024 के दौरान देश भर में सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि जैसे 60 कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि शीत श्रृंखला योजना सहित मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में छोटे किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

*****